उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EA 931654

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष– मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति देवरिया।
द्वितीय पक्ष मेसर्स, श्री एसोसियेटस 10/305 राममुलाम टोला, देवरिया
(सेवा प्रदाता) मालिक का नाम– सत्य प्रकाश

यह अनुबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत आर.बी.एस.के. कार्यक्रम एवं मानिटरिंग एवं सुपरविजन कार्य हेतु वाहनो के संचालन के संबंध मे आज दिनांक–31.03.2018 को जनपद देवरिया में सम्पादित किया गया। इस अनुबंध की अवधि दिनांक–01.04.2018 से 31 मार्च, 2020 तक अथवा अगली निविदा होने तक के लिए होगी।

1. द्वितीय पक्षकार जनपद देवरिया के समस्त विकास खण्ड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो एवं जिला मुख्यालय पर आर.बी.एस.के. कार्यक्रम एवं मानिटरिंग एवं सुपरविजन कार्य हेतु वाहनो को संचालित करने के संबंध मे निम्न शर्तों को पूरा करेगा–
   - सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन बोलेरो/स्कार्पियो एवं अन्य इसी प्रकार की वाहन निम्नानुसार उल्लिखित कार्यक्रम एवं दर के अनुसार प्रत्येक विकास खण्ड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो एवं जिला मुख्यालय पर विभिन्न कार्यालय मे निम्नानुसार स्वीकृत दरो सभी कर सहित प्रति माह की किराये की दर पर उपलब्ध करायेगा।
     - राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम मे रू0–25999.00(रू0 पच्चीस हजार नौ सौ निन्यानवे)मात्र प्रतिमाह प्रति वाहन की दर पर।
     - मोनीटरिंग एवं सुपरविजन हेतु रू0–25999.00(रू0 पच्चीस हजार नौ सौ निन्यानवे)मात्र प्रतिमाह प्रति वाहन की दर पर।
   - वाहन मे निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यत: होनी चाहिए–
     - वाहन पजीकृत होना चाहिए।
     - वाहन का टैक्सी परमिट होना अनिवार्य है।
     - वाहन वर्ष 2014 से पूर्व का पंजीबद्ध नही होना चाहिए, इससे अधिक पुराना न हो।
     - वाहन मे प्राथमिक उपचार किट हो।
     - वाहन मे पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
     - प्रत्येक वाहन मे जी0पी0एस0 होना अनिवार्य होगा।
     - दुर्घटना होन पर वाहन एव सामार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की कम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
   - वाहन का पूर्ण बीमा, पजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।
   - वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।
   - वाहन को 24 घटे चालू हालत मे रखने एव वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जाच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति मे द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबंध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 1200.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप मे जिला स्वास्थ्य सोसाइटी देवरिया के नाम रू0–9,90,000.00 की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबंध खत्म करने पर या अनुबंध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।
3. कार्यक्रमो के मॉनिटरिंग एवं सफल संचालन हेतु वाहन चालकों का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयो मे सूचनापट, योजना सम्बन्धी प्रचार–प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी कार्यालय मे प्रदर्शित कराया जायेगा।
4. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी/अन्य कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
5. द्वितीय पक्ष को वाहनो का संचालन प्रथम पक्ष एवं उसके द्वारा आवंटित कार्यालय के प्रभारी के नियन्त्रण एवं उनके निर्देषन में किया जायेगा। तथा वाहनो के उपयोगिता एवं लागबुक आदि का सत्यापन इन्ही अधिकारियो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

सत्यप्रकाश तिवारी

31.3.18

Scanned by CamScanner

6. मॉनीटरिंग एवं सुपरविजन की वाहन का उपयोग माह में कम से कम 25 दिन किया जायेगा तथा वाहन को संबधित ईकाईयो प्रभारी अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देष एवं प्लान के अनुसार वाहन द्वारा माह में कम से कम 1500 किमी0 चलने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा। यदि वाहन 1500 किमी0 अथवा 25 दिन से कम चलती है तो वाहन जितने दिन चली होगी उतने दिन का भुगतान किया जायेगा।

7. आर0बी0एस0के0 के वाहनों का उपयोग माह में कम से कम 25 दिन किया जायेगा तथा टीम के माईकोप्लान के अनुसार फील्ड विजिट/जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कालेज हेतु संदर्भित बच्चो को ले जाना होगा। सन्दर्भन एवं फील्ड विजिट न होने पर अन्य निर्दिष्ट कार्य कराये जाने तथा वाहन द्वारा माह में कम से कम 1000 किमी0 चलने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा। यदि वाहन 1000 किमी0 अथवा 25 दिन से कम चलती है तो वाहन जितने दिन चली होगी उतने दिन का भुगतान किया जायेगा।

8. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहनों का सचालन विभिन्न कार्यकमों में प्राप्त दिषा–निर्देषों के अनुरूप किया जायेगा। यदि भविष्य में नियम एवं शर्तो में राज्य स्तर से कोई परिवर्तन प्राप्त होता है तो अनुबन्ध अवधि में उन शर्तो का पालन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा।

9. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेंस होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

10. द्वितीय पक्ष को आवंटित इकाई पर वाहनो की उपलब्धता कम से कम प्रातःकाल निर्धारित समय से 08 घण्टे तक सुनिश्चित की जानी होगी।

11. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

12. किसी अधिकारी, मेडिकल अथवा अन्य किसी को वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति मे सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।

13. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशो के अनुरूप करना होगा।

14. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

15. अनुबंध के सबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति मे विवाद का निपटारा केवल देवरिया न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षो को मान्य होगा।

16. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति मे प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–देवरिया।

दिनांक– 31.3.18

हस्ताक्षर सत्यप्रकाश तिवारी
(द्वितीय पक्ष)

हस्ताक्षर [signature] 31.3.18
(प्रथम पक्ष)

गवाह–

1. ....

2. [signature]
पुष्प प्रकाश तिवारी
ग्राम-पोस्ट-पिपरामाफी
थाना - कसया
जि - कुशीनगर

(2) [signature] प्रशासनिक अधिकारी कार्या. उ मु चि अ देवरिया

Supportive Supervision Vehicle Hiring - Block Wise Information 2018-19

S.No.	Name of Division	Name of District	Name of Block	Vehicle No.	Date of Hiring	Agreement Copy Attached
1	Gorakhpur	Deoria	DEORIA	UP52 AS1640	01.04.2018	Yes
2			PATHERDEVA	UP52 AM 9021	01.04.2018	Yes
3			TARKULWA	UP52 AN 0990	01.04.2018	Yes
4			RAMPUR KHARKHANA	UP57 Z 6525	01.04.2018	Yes
5			DESHI DEORIA	UP52 AJ 2582	01.04.2018	Yes
6			BAITALPUR	UP53 BD 7067	01.04.2018	Yes
7			GAURIBAZAR	UP52 AE 4999	01.04.2018	Yes
8			RUDRAPUR	UP52 AB 0771	01.04.2018	Yes
9			BARHAJ	UP52 Z 7333	01.04.2018	Yes
10			BHALAUNI	UP52 Z 2755	01.04.2018	Yes
11			BHAGLAPUR	UP52 T 4449	01.04.2018	Yes
12			LAR	UP52 T 3246	01.04.2018	Yes
13			SALEMPUR	UP52 F 9200	01.04.2018	Yes
14			BHATPAR RANI	UP52 T 6272	01.04.2018	Yes
15			BANKATA	UP52 T 3124	01.04.2018	Yes
16			BHATNI	UP52 AJ 3167	01.04.2018	Yes
17			CMO OFFICE	UP52 T 3901	01.04.2018	Yes
18			CMO OFFICE	UP50 X 6508	01.04.2018	Yes

Chief Medical Officer
Deoria